



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092022-238549
CG-DL-E-02092022-238549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3953]
No. 3953]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2022/भाद्र 11, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022/BHADRA 11, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

का.आ. 4129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक (उप राज्यपाल), राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, उक्त संघ राज्य क्षेत्र के भीतर, महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/6/2020-यूटीएल]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2022

S.O. 4129(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator (Lieutenant Governor) of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under sub-section (1) of section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897) within the said Union territory.

[F. No. U-11030/6/2020-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.